

1 मई, 2020

सरकारी आदेश 2020-36

**कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश**  
**कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 34)**

**चूँकि**, कुछ ही समय में कोविड-2019, जो एक नई गंभीर तीव्र सांस की बीमारी है, ने शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता और बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा पर प्रतिक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, COVID -19 श्वसन प्रसारण से फैल सकती है और इन्फ्लूएंजा की तरह के लक्षण पेश करती है, और,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the First Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

**जबकि**, 1 अप्रैल, 2020 को मैंने COVID-19 के प्रकोप के घातीय प्रसार के कारण इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the Second Gubernatorial Disaster Proclamation) और,

**जबकि**, 30 अप्रैल, 2020 को, चूँकि कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार जारी रहने की अपेक्षा, और संपूर्ण राज्य में परिणामी स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, और अस्पताल शैया, ICU शैया, वेंटिलेटर्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और विषाणु यानि वायरस के परीक्षण की सामग्री की संभावित कमी को दूर करने के लिए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था (तृतीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम व द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

**जबकि**, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है;

**जबकि**, सरकारी आदेश 2020-32 अधिदेश देता है कि इलिनॉय के निवासी आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों और आवश्यक व्यवसायों और प्रचालनों के अलावा हमेशा घर पर ही रहें; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु लागू सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं के कारण, इलिनॉय के निवासियों के लिए विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) हेतु आवेदन करने के लिए किसी काउंटी लिपिक (क्लर्क) या पुरोहित के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होना और विधिपूर्वक विवाह अनुष्ठान पूर्ण करना असुरक्षित एवं संभावित रूप से दुष्परिणाम देने वाला हो सकता है; और,

**जबकि**, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिज़ॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/207 एवं 750 ILCS 5/209, यह आवश्यक करता है कि विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) जारी होने के 60 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी और उसे विवाह समारोह के 10 दिनों के अंदर काउंटी लिपिक (क्लर्क) को लौटा देना चाहिए; और,

**जबकि**, कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप और इलिनॉय राज्य द्वारा उस पर प्रतिक्रिया, जिसमें कार्यकारी आदेश 2020-32 में दिया गया घर पर ही रहने का आदेश शामिल है, से विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) आवेदन की समीक्षा एवं पंजीकरण प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब उत्पन्न हो गए हैं; और,

**अतः**, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझ में निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसार, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

**अनुभाग 1.** राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लामेशन्स) की अवधि के दौरान, यह आवश्यकता कि युगल इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिज़ॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/203, में वर्णित विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) पाने के लिए काउंटी लिपिक (क्लर्क) के “समक्ष उपस्थित” हो, संतुष्ट की जा सकती है यदि उक्त युगल दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके काउंटी लिपिक (क्लर्क) के समक्ष उपस्थित होता है, बशर्ते यह कि काउंटी लिपिक (क्लर्क) के पास आवश्यक प्रौद्योगिकीय अनुकूलताएं हों और निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

- दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी में युगल और काउंटी लिपिक (क्लर्क) के बीच प्रत्यक्ष बातचीत की सुविधा होनी चाहिए;
- विवाह सेवाएं चाहने वाले युगल को पहचान के सत्यापन के लिए दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, काउंटी लिपिक (क्लर्क) द्वारा निरीक्षण किए जाने योग्य गुणवत्ता विभेदन (रेज़ोल्यूशन) की मान्य फोटो पहचान वीडियो कॉन्फ़रेंस के दौरान जब भी कानून द्वारा आवश्यक की जाए तब प्रस्तुत करनी होगी, न कि उसे कॉन्फ़रेंस से पहले या के बाद में संप्रेषित मात्र करना होगा; और
- युगल को उस क्षेत्राधिकार में भौतिक रूप से स्थित होने का अनुप्रमाणन करना होगा जहां इलिनॉय राज्य के अंदर कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति है।

भाग लेने वाले काउंटी लिपिक (क्लर्क) इस संबंध में मार्गदर्शन दे सकते हैं कि उनके क्षेत्राधिकारों में विवाह अनुज्ञाओं (लाइसेंस) की स्वीकृति, नियमन एवं जारी किए जाने की प्रक्रिया किस प्रकार लागू की जाएगी।

**अनुभाग 2.** राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लामेशन्स) की अवधि के दौरान, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिज़ॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/209, के अनुसरण में विवाह समारोह का विधिवत अनुष्ठान दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संपन्न किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

- दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी में युगल और विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष बातचीत की सुविधा होनी चाहिए (अर्थात, विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) पर हस्ताक्षर करने या विवाह समारोह का कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो नहीं);
- विवाह सेवाएं चाहने वाले युगल को पहचान के सत्यापन के लिए दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, विवाह को विधिवत अनुष्ठानित करने वाले व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किए जाने योग्य गुणवत्ता विभेदन (रेज़ोल्यूशन) की मान्य फोटो पहचान वीडियो कॉन्फ़रेंस के दौरान जब भी कानून द्वारा आवश्यक की जाए तब प्रस्तुत करनी होगी, न कि उसे कॉन्फ़रेंस से पहले या के बाद में संप्रेषित मात्र करना होगा;
- युगल को उस क्षेत्राधिकार में भौतिक रूप से स्थित होने का अनुप्रमाणन करना होगा जहां इलिनॉय राज्य के अंदर कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति है;
- युगल को हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की एक पठनीय प्रति, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जाने वाले दिन से अगला दिन समाप्त होने से पहले-पहले डाक द्वारा विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भेजनी होगी;
- विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले व्यक्ति को दस्तावेज़ की संप्रेषित प्रति पर हस्ताक्षर करके उसी प्रति को कानून के अंतर्गत दस्तावेज़ के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को वापस भेजना होगा; और

- f. इस अनुभाग के अनुसरण में हस्ताक्षरित विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) की प्रति, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिजॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट) के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ बन जाएगी।

अनुभाग 3. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिजॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/209(a), के अनुसरण में यह आवश्यकता कि पूर्णतः निष्पादित विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस), 10 दिनों के अंदर काउंटी लिपिक (क्लर्क) के पास जमा कर दी जाए, स्थगित की जाती है।

अनुभाग 4. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिजॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/207, के अनुसरण में काउंटी लिपिक (क्लर्क) से प्राप्त विवाह अनुज्ञाओं (लाइसेंस) की समाप्ति के लिए 60 दिनों की समय-सीमा, एतद्वारा स्थगित की जाती है। ऐसे लाइसेंस जो राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के दौरान कालातीत हो गए हैं या कालातीत होने वाले हैं को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा की समयावधि के लिए विस्तारित किया जाएगा।

अनुभाग 5. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान, इलिनॉय विवाह एवं विवाह-भंग अधिनियम (मैरिज एंड डिजॉल्यूशन ऑफ़ मैरिज एक्ट), 750 ILCS 5/207, में यथा वर्णित यह आवश्यकता कि विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस), उसे जारी करने के दिनांक के एक दिन बाद प्रभावी होती है, ऐसे युगलों के लिए एतद्वारा स्थगित की जाती है जिन्होंने इस आदेश के अनुभाग 1 के अनुसरण में विवाह अनुज्ञा (लाइसेंस) प्राप्त की है।

अनुभाग 6. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)**

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 1 मई, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 1 मई, 2020